

बलवन्त राय मेहता समिति (Balwant  
Ravi Mehta Committee)

भारत में पंचायतों का ग्रामीण विकास का प्रभावशाली माध्यम बनाने और पंचायतों की सीमित सुफलता का मुल्यांकन करके उपयोगी सुझाव देने के लिए सरकार ने सन् 1957 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की जिस 'बलवन्त राय मेहता समिति' कहा जाता है। बलवन्त राय मेहता उस समय सांसद थे (सांसद के सदस्य)। इस समिति ने लगभग 6 महीने तक देश के विभिन्न हिस्सों में ग्राम पंचायतों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने यह माना कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण योजनाओं में जनता की सहभागिता बहुत कम है। लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण के लिए यह जरूरी है कि एक ऐसी पंचायत राज व्यवस्था स्थापित की जाय जिसमें ग्रामीणों का अधिक से अधिक सहभाग हो। यह काम केवल ग्राम पंचायतों के द्वारा ही सम्भव नहीं है।

समिति ने सुझाव दिया कि लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों की जगह एक तीन स्तरों वाली व्यवस्था (Three-tier system) स्थापित की जाए। इसका तात्पर्य है कि गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद स्थापित करके उन्हें एक-दूसरे

से इस तरह जोड़ा जाये जिससे गाँवों  
 का स्थानीय शासन अधिक व्यवस्थित  
 बन सके। समिति ने यह भी सुझाव  
 दिया कि इन तीनों स्तरों की  
 पंचायतों को अधिक आर्थिक साधन  
 और अधिकार दिये जायें। बलवंत  
 राय मेहता समिति ने इसी योजना  
 को पंचायती राज व्यवस्था के नाम  
 से सम्बोधित किया। जनवरी, 1958  
 में सरकार ने इस समिति की  
 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।  
 इसके बाद केंद्र सरकार ने एक  
 कानून बनाकर सन 1959 से भारत  
 में पंचायती राज व्यवस्था प्रारम्भ  
 किया गया और यह आशा की गयी  
 कि अब ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु  
 विभिन्न विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वि-  
 त करने में ग्रामीण जनता पहल  
 करेगी, उत्साह एवं उत्तरदायित्व का  
 परिचय देगी और आवश्यक मात्रा में  
 जनसहयोग प्राप्त हो सकेगा। इस  
 प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के  
 माध्यम से राजनीतिक सत्ता को  
 निचले स्तरों तक अर्थात् ग्रामीण  
 स्तरों तक हस्तान्तरित किया गया।  
 लोकतान्त्रिक विकेंद्रिकरण की योजना  
 के अन्तर्गत स्वयं जनता के चुने हुए  
 प्रतिनिधियों को स्थानीय प्रशासनिक  
 अधिकार सौंपने की व्यवस्था की  
 गयी ताकि वे ये अनुभव कर सकें  
 योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन  
 में उनका प्रभावशाली योग्य है। इस  
 प्रकार पंचायती राज योजना के  
 अन्तर्गत देश के विभिन्न ग्रामों में  
 पंचायतों की स्थापना की गयी।